HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16803/2025

Pratibha Devi W/o Shri Satendra Das, Aged About 46 Years, R/o Village Khajuri, Koch, Police Station Koch District Gaya, Bihar.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

19/01/2026

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत पुलिस थाना– बनीपार्क, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 62/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(1), 305(a) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थिया/अभियुक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता के संबंध में धारा 193(9) बीएनएसएस के अंतर्गत अनुसंधान लंबित रखा गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता का आरोपित अपराध से कोई संबंध नहीं है। इस संदर्भ में मुख्य आरोपीगण के विरुध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और उन्हीं पर परिवादी के घर में रखी नकद राशि को चोरी करने का आरोप है। प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है एवं अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया/अभियुक्ता को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए।

RAJASTHAN HIGH COURT

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न पत्रावली रहे।

तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस तथ्य को उल्लेख नहीं है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता उक्त अपराध में किस प्रकार से संबद्ध है।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिया/अभियुक्ता को उक्त एफआईआर के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान किया जाना उचित प्रकट होता है। इस संदर्भ में संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पुलिस थाना– बनीपार्क, जिला– जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 62/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 331(1), 305(a) भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में प्रार्थिया/अभियुक्ता को गिरफ्तार नहीं करें।

इस संदर्भ में प्रार्थिया/अभियुक्ता को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिनांक 31.01.2026 को या उससे पूर्व उपस्थित होवे तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी उपरोक्त संदर्भ में नियमानुसार प्रार्थिया/अभियुक्ता से पूछताछ करे और न्यायालय के समक्ष आगामी तिथि पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

प्रकरण दिनांक 06.02.2026 को सूचीबद्ध हो। तब तक उपरोक्त आदेश प्रभावी रहेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 11